



जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया  
Jananayak Chandrashekhar University, Ballia

पत्रांक: जे0एन0सी0यू0 / सा0प्र0(आर0 कैम्प)/214/2019

दिनांक: 01 अप्रैल, 2019

सेवा में,

प्राचार्य / प्राचार्या,  
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय,  
जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय,  
बलिया।

विषय:- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु आरक्षण व्यवस्था लागू किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया अपर मुख्य सचिव, कार्मिक अनुभाग-2 उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ द्वारा निर्गत शासनादेश सं0 3/2019/4/1/2002/का-2/19 टी.सी. ॥ दिनांक 14 मार्च, 2019 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके माध्यम से सभी शैक्षिक संस्थाओं (अनुदानित एवं गैर अनुदानित) में प्रवेश के लिये आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के अभ्यर्थियों के लिये अधिकतम 10 प्रतिशत का आरक्षण अनुमन्य किया जाये।

उक्त के अनुपालन में तदनुसार निर्देशित किया जाता है कि सत्र 2019-20 में महाविद्यालयों में संचालित समस्त पाठ्यक्रमों में उक्त शासनादेश का अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

(संजय कुमार)  
कुलसचिव

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. माननीय कुलपति जी, संज्ञानार्थ।
2. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
3. उप कुलसचिव को वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

(संजय कुमार)  
कुलसचिव